रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 417] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 1972/भाद्र 27, 1894

No. 417] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 1972/BHADRA 27, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

GOVT OF INDIA

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 18th September 1972

S.O. 606(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Fifteenth Amendment Order, 1972.

2. In the Exports (Control) Order, 1968, in Schedule I Part A after item No. 37 the following item shall be added:—

"38—Soyabean".

[No. E(C)O, 1968/AM(85).]

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1972

एस० ओ० 606 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्न-लिखित आदेश का निर्माण करती है अर्थात :

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) पन्द्रवां संशोधन आदेश 1972 की संज्ञा दी जाएं ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 के लिए अनुसूची 1 के भाग बी में मद संख्या 37 के बाद निम्नलिखित मद को जोड़ा जाए :—

"38 सोयाबीन" ।

[संख्या ई (सी) ओ, 1968/ए एम (85)]

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972